# झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

## सी. एम. पी. संख्या 360/2019

प्रदीप कुमार घोष, आयु 57 वर्ष, पिता- जगदीश चंद्र घोष ग्राम पोस्ट- कोकर, थाना-सदर, जिला-रांची के निवासी

…याचिकाकर्ता

**बनाम**

1. झारखंड राज्य, द्वारा सचिव, राजस्व भूमि सुधार सचिव, झारखंड सरकार।

2. उपायुक्त, रांची।

3. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रांची।

...विपक्षीगण

---

**कोरम : माननीय न्यायाधीश श्री सुजीत नारायण प्रसाद**

---

याचिकाकर्ता के लिएः श्री अशित बरन महतो, अधिवक्ता

विपक्षीगण के लिए : श्री राहुल देव, एस. सी. (एल एंड सी-III) के ए. सी.

---

**4/दिनांक 25 जून, 2021**

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मामले की सुनवाई की गई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अशित बरन महतो प्रार्थना करते हैं कि यद्यपि आकस्मिक आदेश का पालन नहीं किया गया है, तथापि वे त्रुटियों को दूर करने के लिए कुछ समय चाहते हैं।

प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

कार्यालय द्वारा बताई गई त्रुटियों को आज से तीन सप्ताह के भीतर दूर कर लिया जाए।

डब्ल्यू. पी. (सी) सं.1961/2017 को उसकी मूल फाइल में पुन: स्थापित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह दीवानी विविध याचिका दायर की गई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अशित बरन महतो ने प्रस्तुत किया है कि दिनांकित 29.04.2019 के आकस्मिक आदेश का पालन न करने के कारण रिट याचिका डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 1961/2017 खारिज कर दी गई है और इसलिए डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 1961/2017 की पुन: स्थापना के लिए यह याचिका दायर की गई है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि रिट याचिका को उसकी मूल फाइल में पुन: स्थापित  नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी क्योंकि रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया मुद्दा अनिर्णीत रहेगा।

श्री राहुल देव, एस. सी. (एल. एंड सी.-III) के विद्वान ए. सी. ने प्रस्तुत किया है कि यदि रिट याचिका डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 1961/2017 को उसकी मूल फाइल में पुन: स्थापित किया जाता है तो राज्य को कोई आपत्ति नहीं है।

इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और दीवानी विविध याचिका में दिए गए कारण को ध्यान में रखते हुए यह विचार रखा है कि यदि रिट याचिका को उसकी मूल फाइल में पुन: स्थापित नहीं किया जाता है तो यह याचिकाकर्ता के लिए प्रतिकूल होगा क्योंकि रिट याचिका में उठाया गया मुद्दा अनिर्णीत रहेगा।

इसे ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 1961/2017 को उसकी मूल फाइल में पुन: स्थापित किया जाता है।

इस प्रकार, इस दीवानी विविध याचिका का निपटारा किया जाता है।

**(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया.)**

साकेत/-